बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना–15, दिनांक : 04 **नवम्बर**, 2016

संख्या : 1/सी0–1020/2000–सा0 प्र0–15025/विभागीय अधिसूचना संख्या–9599 दिनांक–**12.07.2016** द्वारा श्री रामाशंकर तिवारी, भा0प्र0से0(1969)–सेवानिवृत्त को श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 1970)–सेवानिवृत्त की सापेक्षता में आयुक्त एवं सचिव ग्रेड और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में वैचारिक प्रोन्नतियाँ प्रदान की गयी हैं। किन्तु, अविभाजित बिहार राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त नवगठित झारखण्ड राज्य को सेवावंटन के पश्चात् श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0 (1970) को शीर्ष वेतनमान की प्रोन्नति प्राप्त होने के कारण श्री तिवारी की प्रश्नगत प्रोन्नतियों को आंशिक रुप से संशोधित करते हुए संदर्भित ग्रेडों की वैचारिक प्रोन्नतियाँ उन्हें निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(क) **अधिसमय से ऊपर वेतनमान (आयुक्त एवं सचिव ग्रेड)**– श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0(बी एचः1970)–सेवानिवृत्त को अविभाजित बिहार राज्य में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से ।

(ख) **स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर)**– श्री जी0एस0 कंग, भा0प्र0से0(बी एच : 1970)–सेवानिवृत्त को पुनर्गठित बिहार राज्य में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से ।

(ग) श्री तिवारी को इन प्रोन्नतियों से आच्छादित कोई बकाया देय नहीं होगा, परन्तु, अनुमान्य वेतन निर्धारण के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण संबंधी लाभ देय होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04/11/16

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : **1/सी0–1020/2000–सा0 प्र0–**15025/पटना–15, दिनांक : 04 **नवम्बर**, 2016

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्री रामाशंकर तिवारी, भा0प्र0से0 (बी एचः69)–सेवानिवृत्त, सी–8/8181, बसंत कुंज, नई दिल्ली–110 070/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध

कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

04/11/16

सरकार के अवर सचिव